न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 103/2018 दायरा दिनांक : 06.07.2018

उनवान

1– राधाकिशन वल्द रामलाल, उम्र 75 वर्ष, जाति धोबी, निवासी भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– हरलाल वल्द रामा, जाति धोबी, निवासी भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2/1– पूरी लाल वल्द हरलाल, उम्र 52 वर्ष, जाति धोबी, निवासी भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2/2– पूरी बाई पुत्री हरलाल पत्नी राकेश उम्र 45 वर्ष, जाति धोबी, निवासी भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– घासीलाल वल्द प्यारा उम्र 52 वर्ष, जाति धोबी, निवासी भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– मांगी बाई बेवा प्यारा उम्र 80 वर्ष, जाति धोबी, निवासी भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

राधाबाई पत्नी विजय सिंह, जाति रूवाला, निवासी भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बच्चू लाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.01.2021

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 83/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की अपील पेश की थी जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 6.03.2016 को अपास्त कर दिया तथा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई तथा यह निर्णय दिया गया कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करके वाद का निस्तारण किया जावे । इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट की तलबी के लिए नोटिस जारी करने का आदेश तो पारित किया लेकिन अपीलांट प्रतिवादीगण को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये व दिनांक 20.11.2017 को अपीलांट के विरूद्ध पुनः एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई । इस दरमियाद प्रतिवादी हरलाल की मृत्यु हो गई अतः अपील में उसके कानूनी प्रतिनिधि को पक्षकार बनाकर अपील पेश की जा रही है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृति न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है । अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । पहले तो आर्डरशीद अपीलांट की तलबी में चलाई लेकिन दिनांक 20.11.2017 को बगैर किसी औचित्य के अपीलांट की तलबी के बगैर वाद का निर्णय कर दिया जो कानूनन सही नहीं है । रेस्पोडेंट को अपनी आराजी पर आने–जाने का सुविधाजनक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है । अपीलांट अनुसूचित जाति के सदस्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2017 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.06.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.11.2017 के विरूद्ध हमें सुनवाई का अवसर दिये बिना रास्ता दे दिया । आर ए ए ने अपील रिमाण्ड की पुनः सुनकर निर्णय पारित करें फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस जारी नहीं किये । अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट हमारी मौजूदगी में तैयार नहीं की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि आर ए ए के आदेश में दिनांक 21.07.2017 को उभयपक्षकारों को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया था । अतः सुनवाई का अवसर दिया गया है दुबारा नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है । मौका रिपोर्ट, नक्शे में कोई रास्ता मौजूद नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गलती नहीं की है, सही रास्ता दिया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री उचित है ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में राधाकिशन पुत्र रामलाल जो कि आर ए ए न्यायालय में अपीलांट थे, को दिनांक 11.09.2017 को नोटिस जारी कर दिनांक 16.10.2017 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होना अंकित किया है । नोटिस के पीछे लिखा है कि कार्यालय तहसीलदार अकलेरा ने मूल ही तामील लौटा कर लेख है कि सहायक कर्मचारी की कमी होने से तामील करवाने में मजबूरी रही है अग्रिम तारीख बढ़ाने की कृपा करें ।" पत्रावली में आगामी तारीख बाबत कोई आदेश नहीं है तथा नोटिस भी सभी पक्षकारों को जारी नहीं किया गया

(जगदीश चन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

है, इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया जो न्याय की श्रेणी में नहीं आता है । अतः हम प्रकरण करे रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करे एवं तहसील से उभयपक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.04.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा